

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *335

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आवास

†*335. श्री बेन्नी बेहनन:

श्री एंटो एन्टोनी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार कुल कितने ग्रामीण भूमिहीन पात्र परिवारों की पहचान की गई है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितने भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं और कितने परिवारों को अभी आवास उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आवासों के आवंटन में विलंब के क्या कारण हैं और पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित करने के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत पूर्ण नहीं हुए आवासों का राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने पूर्ण नहीं हुए आवासों के निर्माण कार्य को सक्रियता से पूरा किए जाने के संबंध में निगरानी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों के लिए आवास” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.8.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *335 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण.

(क) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दिनांक 06.08.2026 की स्थिति के अनुसार, कुल 5.62 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को पात्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इसका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। 5.62 लाख भूमिहीन लाभार्थियों में से 3.26 लाख परिवारों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि/सहायता प्रदान की गई है तथा आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 2.36 लाख परिवारों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवास निर्माण हेतु भूमि प्रदान/आवंटित की जानी शेष है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने मार्च 2029 तक अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों को पूर्ण करने हेतु पीएमएवाई-जी के चरण-II को अनुमोदित किया है।

दिनांक 06.08.2026 की स्थिति के अनुसार, समग्र आवंटित लक्ष्यों की तुलना में 1.05 करोड़ आवास पूर्ण नहीं हुए हैं। इसका राज्य, संघ राज्य क्षेत्र एवं जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। जमीनी स्तर पर राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राथमिक कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निर्माण पूरा होने में विलंब के अन्य कारणों के साथ-साथ लाभार्थियों की अनिच्छा, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों का विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी, राज्य आईएफएमआईएस से क्रेडिट पुष्टि के अद्यतन में विलंब और समय-समय पर होने वाले आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव तथा निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता शामिल है।

(ङ) पीएमएवाई-जी के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय रूप से कई कदम उठाए गए हैं। इनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समयबद्ध आवंटन तथा पर्याप्त निधियां जारी किया जाना, प्रगति की नियमित समीक्षा, डैशबोर्ड पर योजना की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित कार्यशालाओं का आयोजन, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

अनुबंध-I

“पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीनों के लिए आवास” के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 335 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन लाभार्थी	भूमि प्रदान की गई	भूमि उपलब्ध कराई जानी शेष है
1	कर्नाटक	1,15,300	2,500	1,12,800
2	महाराष्ट्र	1,75,053	1,21,202	53,851
3	असम	73,832	41,202	32,630
4	बिहार	23,014	11,729	11,285
5	गुजरात	24,461	18,138	6,323
6	राजस्थान	69,033	63,925	5,108
7	केरल	5,358	776	4,582
8	जम्मू और कश्मीर	3,673	498	3,175
9	ओडिशा	20,191	18,083	2,108
10	मध्य प्रदेश	38,490	36,890	1,600
11	पश्चिम बंगाल	5,296	3,720	1,576
12	अंडमान और निकोबार	1,038	578	460
13	मेघालय	908	693	215
14	छत्तीसगढ़	6,209	6,197	12
15	झारखंड	63	52	11
	कुल	5,61,919	3,26,183	2,35,736

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीनों के लिए आवास" से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 335 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण	लक्ष्य की तुलना में अपूर्ण
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591	346
2	असम	29,62,945	29,08,853	23,22,837	6,40,108
3	बिहार	50,12,752	49,09,826	42,13,690	7,99,062
4	छत्तीसगढ़	26,42,224	24,52,164	20,36,053	6,06,171
5	गोवा	257	254	243	14
6	गुजरात	8,39,116	8,29,456	7,20,825	1,18,291
7	हरियाणा	1,06,460	76,478	41,272	65,188
8	हिमाचल प्रदेश	1,08,389	97,158	69,654	38,735
9	जम्मू और कश्मीर	3,41,644	3,34,597	3,26,860	14,784
10	झारखंड	20,12,107	19,37,924	16,43,979	3,68,128
11	केरल	1,13,404	86,574	42,016	71,388
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	54,18,955	43,78,398	13,96,174
13	महाराष्ट्र	43,80,522	41,38,877	20,77,447	23,03,075
14	मणिपुर	1,13,550	1,06,812	56,934	56,616
15	मेघालय	1,88,034	1,84,295	1,59,879	28,155
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,441	4,526

17	नागालैंड	48,830	48,727	38,168	10,662
18	ओडिशा	28,28,739	28,06,651	25,50,609	2,78,130
19	पंजाब	1,13,911	76,363	55,626	58,285
20	राजस्थान	24,93,546	24,32,039	20,44,450	4,49,096
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393	6
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,34,017	6,72,770	2,85,055
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,173	3,73,941	2,972
24	उत्तर प्रदेश	42,77,493	36,55,810	36,43,036	6,34,457
25	उत्तराखंड	69,755	68,528	68,243	1,512
26	पश्चिम बंगाल	46,69,423	45,69,031	34,20,433	12,48,990
27	अंडमान और निकोबार	3,424	2,591	1,512	1,912
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,364	11,364	6,977	4,387
29	लक्षद्वीप	45	45	45	0
30	आंध्र प्रदेश	3,21,326	2,46,929	90,601	2,30,725
31	कर्नाटक	9,44,140	5,70,878	1,73,464	7,70,676
32	लद्दाख	3,004	3,004	3,004	0
	कुल	4,17,83,017	3,91,51,320	3,12,95,391	1,04,87,626

*आवासों का जिला-वार विवरण <https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/PhysicalProgressRpt.aspx> पर ए2 रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है।
